बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:– मु०अ०(नि०)–रा० यो०–572/2024 3697 /पटना, दिनांक– 17-12-2024

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:– **योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के समस्तीपुर एवं गोपालगंज जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103– ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)– उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के समस्तीपुर एवं गोपालगंज जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 02 (दो) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 55.16 मी० के निर्माण की राशि 496.85 करोड़ (चार करोड़ छियानबे लाख पचासी हजार रुपया मात्र) है–हेतु योजनावार पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट–1

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी०)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कंटिजेंसी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Samastipur	Samastipur	Warisnagar	Construction of RCC Bridge in at Shanti River in Laruwara village of Warisnagar Block	26.10	186.80	1.63	1.43	189.86
2	Gopalganj	Gopalganj-2	Sidhwaliya	Construction of RCC Bridge over Ghoghari river Under L041 to L039 Bathrol Kurmi Tola	29.06	299.62	1.74	5.63	306.99
				Total	55.16	486.42	3.37	7.06	496.85

1. इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

8. इन योजनाओं के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्थायी वित्त समिति के अनुमोदनोंपरान्त स्वीकृति प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०(नि०)–रा० यो०–572/2024 /पटना, दिनांक–के पृष्ठ संख्या–10/टि० पर प्राप्त है।

9. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टता के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

12. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०)–रा० यो०–572/2024 के पृष्ठ संख्या– 13 /टि० पर दिनांक 11/12/24 को प्राप्त है।

13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि०)–रा० यो०–572/2024 3697 /पटना, दिनांक–17-12-2024

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः— मु०अ०(नि०)—रा० यो०—572/2024 3697 /पटना, दिनांक— 17-12-2024

प्रतिलिपिः— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः— मु०अ०(नि०)—रा० यो०—572/2024 3697 /पटना, दिनांक—17-12-2024

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय—व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय,(मौर्या लोक कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव